

विविध बैंक प्रकरण सं० 88/2018(RCMS : 2018/00161) कॉर्पोरेशन बैंक, नेतेवाला बनाम 1. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री गणपतराम 2. माया देवी पत्नी श्री महेन्द्र कुमार पता वार्ड नं 5, पोस्ट महियावाली, श्रीगंगानगर 3. श्री रामवीर पुत्र श्री हनुमान सिंह पता वाया पोस्ट गोविन्दपुरा 18 जीजी, श्रीगंगानगर

06.02.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री भागचन्द शर्मा अधिकृत कार्यकर्ता उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अधिकृत कार्यकर्ता द्वारा प्रार्थना की है कि अप्रार्थीगण महेन्द्र कुमार, माया देवी एवं रामवीर द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में अप्रार्थी महेन्द्र कुमार ऋणी द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति आवासीय प्लॉट पट्टा नं. 284, चक 4 एचएच महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। अब इस प्रकरण में प्रार्थी बैंक किसी प्रकार से आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता हैं और यदि प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 04.09.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी कॉर्पोरेशन बैंक नेतेवाला जिला श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत महेन्द्र कुमार पुत्र गणपतराम वगैरा के विरुद्ध पेश कर, ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति आवासीय प्लॉट पट्टा नं. 284, चक 4 एचएच महियावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब प्रार्थी बैंक के अधिकृत कार्यकर्ता द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि इस प्रकरण में वे किसी प्रकार से आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं इसलिए यदि इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

चूंकि अब प्रार्थी कॉपोरेशन बैंक, नेतेवाला, जिला श्रीगंगानगर इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है इसलिए उनके द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 04.09.2018 को इसी आधार पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(शिवप्रसाद मदन नकाते)
बिना मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर